

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) जयपुर

क्रमांक:-रसद/एफपीएस/विज्ञप्ति-2023/2026/2041

दिनांक:- 30.09.2026

संशोधित विज्ञप्ति

कार्यालय के विज्ञप्ति पत्र क्रमांक:-रसद/एफपीएस/विज्ञप्ति-2023/2026/2018 दिनांक: 29.09.2026 को अतिक्रमित कर विज्ञप्ति में आंशिक संशोधन करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा रिक्त उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु जारी दिशा-निर्देश दिनांक 17.03.2016 एवं उचित मूल्य दुकानों की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिनांक 25.11.2020 की पालना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय की रिक्त 116 उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक पात्र आवेदक/संस्था से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

उपखण्ड	तहसील	क्र.स.	ग्राम पंचायत/नगर पालिका	वितरण केन्द्र	रिक्त उ.मू.दु का पोस कोड	आरक्षण/सामान्य
बस्सी	बस्सी	1	नगर पालिका बस्सी, वार्ड नंबर 9, 12, 21	वार्ड नंबर 12 (पुराना)	14120	सामान्य
		2	रामरतनपुरा	रामरतनपुरा	14071	महिला आरक्षित
		3	मनोहरपुरा	अखेपुरा	14145	सामान्य
		4	दूधली	दूधली	14129	सामान्य
		5	पडासोली	पडासोली	14102	सामान्य
		6	टहटडा	टहटडा	14098	सामान्य
		7	टहटडा	दौपुर	14099	सामान्य
		8	लालगढ	लालगढ	14131	सामान्य
	तुंगा	9	खतेपुरा	खतेपुरा	14103	सामान्य
		10	बराला	बराला	29328	सामान्य
फागी	फागी	11	मण्डोर	मण्डोर	14268	सामान्य
		12	रोटवाडा	रोटवाडा	14267	सामान्य
		13	चकवाडा	चकवाडा	14320	सामान्य
		14	नारेडा	छापरी	14307	सामान्य
		15	कवरपुरा	कवरपुरा	14279	सामान्य
	माधोरा जपुरा	16	भांकरोटा	भांकरोटा	14323	सामान्य
		17	रेनवाल मांझी	रेनवाल मांझी	14315	सामान्य
		18	मोहब्बतपुरा	मोहब्बतपुरा	14311	महिला आरक्षित
		19	झाडला	झाडला	14289	महिला आरक्षित
		20	हीरापुरा	हीरापुरा	14288	
जोबनेर	जोबनेर	21	डेहरा	डेहरा	11119	महिला आरक्षित
		22	जोरपुरा जोबनेर	जोरपुरा जोबनेर	15928	सामान्य
		23	आसलपुर	आसलपुर- II	15952	सामान्य

Signature valid

Digitally signed by Sandesh Nayak
Designation: Collector and District
Magistrate
Date: 2026.09.30 12:02:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24811124
M e-Sign



Scanned with OKEN Scanner

		24	आईदान का बास	आईदान का बास	15954	सामान्य
		25	बरसी झाझड़ा	बरसी झाझड़ा	15956	महिला आरक्षित
		26	भैसाया	भैसाया	21399	सामान्य
		27	करणसर	खिजूरियों	21417	महिला आरक्षित
		28	नगर पालिका जोबनेर वार्ड संख्या 3, 9 एवं 10	नगर पालिका जोबनेर वार्ड संख्या 9	14796	सामान्य
सांभर	किशन गढ़- रेनवाल	29	मुण्डियागढ़	मुण्डियागढ़	11103	सामान्य
		30	लुनियावास	लुनियावास	11113	सामान्य
		31	नगर पालिका किशनगढ़ रेनवाल, वार्ड नंबर 4,5,6,10	नगर पालिका किशनगढ़ रेनवाल, वार्ड नंबर 5	14872	महिला आरक्षित
		32	सुण्डो का बास	सुण्डो का बास	15704	सामान्य
		33	रामजीपुरा कलां	सुन्दरपुरा	15922	सामान्य
		34	बासडी खुर्द	बासडी खुर्द	21397	महिला आरक्षित
		35	भांदवा	डोगी वालों का बास	21398	महिला आरक्षित
		36	डूंगरसी का बास	डूंगरसी का बास	21401	महिला आरक्षित
		37	हरसोली	हरसोली	21406	महिला आरक्षित
		38	जूनसिया	जूनसिया	21420	सामान्य
		39	काबरो का बास	काबरो का बास	21427	सामान्य
		40	मलिकपुर	मलिकपुर	21421	सामान्य
		41	बाघावास	बाघावास	11110	सामान्य
		42	भैसलाना	भैसलाना	21400	सामान्य
		43	नगर पालिका किशनगढ़ रेनवाल, वार्ड नंबर 19, 20	नगर पालिका किशनगढ़ रेनवाल, वार्ड नंबर 20	17435	सामान्य
		44	नगर पालिका किशनगढ़ रेनवाल, वार्ड नंबर 1, 2,3	नगर पालिका किशनगढ़ रेनवाल, वार्ड नंबर 3	14850	सामान्य
सांभर	फुलेरा	45	सिनोदिया	सिनोदिया	11116	महिला आरक्षित
		46	चैनपुरा	पीथावास	11123	सामान्य
		47	चैनपुरा	भावसा	11124	सामान्य
		48	सुरसिंहपुरा	माल्यावास	21476	सामान्य
		49	आकोदा	आकोदा	15930	सामान्य
		50	रोजडी	रोजडी II	15943	सामान्य
		51	हिरनोदा	महेशवास	15944	महिला आरक्षित
		52	तेज्या का बास	तेज्या का बास	16097	महिला आरक्षित
		53	श्रीरामपुरा	श्रीरामपुरा	21463	सामान्य
		54	नगर पालिका सांभर वार्ड नंबर 1, 20	नगर पालिका सांभर वार्ड नंबर 1	14710	सामान्य

Signature valid

Digitally signed by Sandesh Nayak
Designation: Collector and District
Magistrate
Date: 2026.09.30 12:02:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24811124
M e-Sign



Scanned with OKEN Scanner

		55	नगर पालिका सांभर वार्ड नंबर 4, 17	नगर पालिका सांभर वार्ड नंबर 4	14753	सामान्य
		56	नगर पालिका सांभर वार्ड नंबर 18, 19	नगर पालिका सांभर वार्ड नंबर 18	14732	सामान्य
		57	नगर पालिका सांभर वार्ड नंबर 6, 8	नगर पालिका सांभर वार्ड नंबर 8	14687	सामान्य
		58	नगर पालिका फुलेरा वार्ड नंबर 7,9,10,14,15	नगर पालिका फुलेरा वार्ड नंबर 14	14629	सामान्य
		59	नगर पालिका नरैना वार्ड नंबर 9,10	नगर पालिका नरैना वार्ड नंबर 10	28886	महिला आरक्षित
जमवारा मगढ	जमवार मगढ	60	नायला	रामजीपुरा	30136	महिला आरक्षित
		61	ताला	ताला।	21621	महिला आरक्षित
	आंधी	62	डांगरवाडा	डांगरवाडा	21669	सामान्य
		63	मंहगी	मंहगी	21659	सामान्य
		64	धली	धली	21667	सामान्य
		65	फुटोलाव	फुटोलाव	21670	सामान्य
आमेर	आमेर	66	लखेर	लखेर	10905	महिला आरक्षित
		67	रुण्डल	रुण्डल	14356	सामान्य
	जालसू	68	चतरपुरा	आछोजाई	14361	सामान्य
		69	नांगलसिरस	नांगलसिरस	21624	सामान्य
		70	रामपुरा डाबडी	रामपुरा डाबडी	21601	सामान्य
		71	रायथल	विजयपुरा	14372	महिला आरक्षित
सांगानेर	सांगानेर	72	देहमीकलां	देहमीखुर्द	10887	सामान्य
		73	पंवालिया	टिलावाला	21507	महिला आरक्षित
		74	कपुरावाला	कपुरावाला	21528	सामान्य
		75	भम्भौरिया	भम्भौरिया	21520	सामान्य
		76	देवलियां	देवलियां	21523	महिला आरक्षित
		77	वाटिका	वाटिका	14342	सामान्य
		78	नगर पालिका बगरु वार्ड नंबर 1 एवं 2	नगर पालिका बगरु वार्ड नंबर 1 एवं 2	16216	सामान्य
दूदू	दूदू	79	उरसेवा	उरसेवा	14789	सामान्य
		80	बींगोलाव	हटुपुरा	21457	सामान्य
		81	साखून	जाखडो की ढाणी	10869	सामान्य
		82	नानण	मालेडा	10884	सामान्य
	मौजमा बाद	83	गाडोता	नासनोदा	14787	सामान्य
		84	धमाणा	लोरडी	10856	सामान्य
जयपुर ग्रामीण	जयपुर ग्रामीण	85	मुण्डिया रामसर	मुण्डिया रामसर	21554	सामान्य
		86	फतेहपुरा	फतेहपुरा	14235	महिला आरक्षित
		87	मण्डाभोपावास	मण्डाभोपावास	14232	सामान्य

Signature valid

Digitally signed by Sandesh Nayak
Designation: Collector and District
Magistrate
Date: 2026.09.30 12:02:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24811124
M e-Sign



Scanned with OKEN Scanner

		88	निमेडा	निमेडा	14256	महिला आरक्षित
		89	चकरामसर	चकरामसर	14255	सामान्य
शाहपुरा	शाहपुरा	90	छापडा खुर्द	छापडा खुर्द	14693	सामान्य
		91	नायन	त्रिलोकपुरा	14867	सामान्य
		92	नवलपुरा	नवलपुरा	29771	सामान्य
		93	नगर पालिका शाहपुरा वार्ड नं 4	नगर पालिका शाहपुरा वार्ड नं 4	17396	महिला आरक्षित
		94	नगर पालिका शाहपुरा वार्ड नं 11	नगर पालिका शाहपुरा वार्ड नं 11	17410	सामान्य
		95	नगर पालिका शाहपुरा वार्ड नं 12	नगर पालिका शाहपुरा वार्ड नं 12	17412	महिला आरक्षित
		96	नगर पालिका शाहपुरा वार्ड नं 13	नगर पालिका शाहपुरा वार्ड नं 13	17414	सामान्य
		97	नगर पालिका शाहपुरा वार्ड नं 14	नगर पालिका शाहपुरा वार्ड नं 14	17416	सामान्य
		98	नगर पालिका शाहपुरा वार्ड नं 17	नगर पालिका शाहपुरा वार्ड नं 17	17422	महिला आरक्षित
चौमू	चौमू	99	गोविन्दगढ	कालू का बास	14439	सामान्य
		100	हस्तेडा	हस्तेडा	21356	सामान्य
		101	कालाडेरा	कालाडेरा ।।	14458	सामान्य
		102	गुडलिया	कीरत सिंह का बास	14436	महिला आरक्षित
		103	खेजरोली	खेजरोली	14466	महिला आरक्षित
		104	गोविंदगढ	गोविंदगढ ।।।	14491	सामान्य
		105	इटावा भोपजी	इटावा भोपजी ।	14474	महिला आरक्षित
		106	नगर पालिका चौमू वार्ड नंबर 12 (पुराना)	नगर पालिका चौमू वार्ड नंबर 12	17360	सामान्य
		107	नगर पालिका चौमू वार्ड नंबर 19 (पुराना)	नगर पालिका चौमू वार्ड नंबर 19	17368	महिला आरक्षित
		108	नगर पालिका चौमू वार्ड नंबर 23, 24	नगर पालिका चौमू वार्ड नंबर 23, 24	17372	महिला आरक्षित
		109	नगर पालिका चौमू वार्ड नंबर 9 (पुराना)	नगर पालिका चौमू वार्ड नंबर 9	17353	सामान्य
		110	नगर पालिका चौमू वार्ड नंबर 20 (पुराना)	नगर पालिका चौमू वार्ड नंबर 20	17375	महिला आरक्षित
चाकसू	चाकसू	111	नगर पालिका चाकसू वार्ड नंबर 17 (पुराना)	नगर पालिका चाकसू वार्ड नंबर 17 (पुराना)	17455	सामान्य
		112	नगर पालिका चाकसू वार्ड 15 एवं 5 (पुराना)	नगर पालिका चाकसू वार्ड 15 एवं 5 (पुराना)	17451	सामान्य
		113	कादेडा	कादेडा प्रथम	10916	सामान्य

Signature valid

Digitally signed by Sandesh Nayak
Designation: Collector and District
Magistrate
Date: 2026.09.30 12:02:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24811124
M e-Sign



Scanned with OKEN Scanner

	114	सवाई गांधीसिंहपुरा	सवाई गांधीसिंहपुरा	21706	महिला आरक्षित
	115	कोटखावदा	कोटखावदा-I	21710	महिला आरक्षित
	116	काठावाला	यारलीपुरा	15684	महिला आरक्षित

1. आवेदन पत्र से सम्बन्धित सामान्य निर्देश :-

- यह विज्ञप्ति विभागीय पत्रांक: 17(39)खा.वि./न्याय/2026/2026-04748 दिनांक 24.09.2026 के अनुसरण में कार्यालय द्वारा वर्ष 2023 में जारी विज्ञप्ति पत्रांक: 779 दिनांक: 11.04.2023 को समाप्त कर नये सिरे से नवीन रिक्त उचित मूल्य दुकानों की रिक्तियों के विरुद्ध जारी की गई है, इस विज्ञप्ति को विज्ञप्ति - 2026 के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। यह विज्ञप्ति विभागीय दिशा-निर्देश 17.03.2016 के अध्याधीन रहेगी।
- सभी आवेदकों को जिला रसद कार्यालय जयपुर द्वितीय से नवीन आवेदन पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा पूर्व के आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- विज्ञप्ति-2023 में जिन आवेदकों द्वारा पूर्व में आवेदन शुल्क (पोस्टल आर्डर) जमा करवा दिये गये हैं उन आवेदकों द्वारा पोस्टल आर्डर की रसीद कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने पर उनके लिये आवेदन पत्र निशुल्क रहेगा।
- आवेदन पत्र दिनांक 01.10.2026 से 30.10.2026 तक प्रत्येक कार्यदिवस में कार्यालय समय प्रातः 09:30 बजे से सांय 06:00 बजे तक कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के कमरा नम्बर 46 से प्राप्त किए जा सकेंगे।
- आवेदन पत्र भरने के पश्चात् दिनांक 02.11.2026 से 13.11.2026 तक प्रत्येक कार्य दिवस में कार्यालय समय प्रातः 09:30 बजे से सांय 06:00 बजे तक कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के कमरा नम्बर 36 में जमा करवाये जा सकेंगे।
- कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय से प्राप्त किया गया आवेदन पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) छायाचित्र सहित ही स्वीकार किया जा सकेगा। अन्य किसी माध्यम यथा ई-मित्र, टाईपिस्ट, नोटेरी बुक स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- आवेदनकर्ता द्वारा अपना छाया चित्र आवेदन पत्र में अंकित स्थान पर चस्पा कर तथा चार छाया चित्र पृथक से आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- आवेदन पत्र का मूल्य 100/-रुपये निर्धारित है।
- आवेदन पत्र कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय से निर्धारित शुल्क का डीडी अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर जमा कराया जाकर ही प्राप्त किये जा सकेंगे।

2. उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु अर्हताएँ :-

- शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिये जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरित की जानी है अर्थात् आवेदक का उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्डों में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिये।
- ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के सम्बन्ध में आवेदक का उसी ग्राम पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस ग्राम पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जावेगी जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है।
- आवेदक द्वारा निवास स्थान के प्रमाण के रूप में सम्बन्धित भाग संख्या की मतदाता सूची की सत्यापित प्रतिलिपि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिये अर्थात् उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। विज्ञप्ति-2023 में तत्समय प्राप्त आवेदन पत्र में कई आवेदक जो आदिनांक निर्धारित 45 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण कर चुके हैं, जो विभागीय दिशा-निर्देश दिनांक 17.03.2016 के अनुसार वर्तमान में पात्र नहीं हैं उनको आयु सीमा छूट प्रदान की जावेगी। (विभागीय पत्र दिनांक 24.09.2026 के अनुसार)

Signature valid

Digitally signed by Sandesh Nayak
Designation: Collector and District
Magistrate
Date: 2026.09.30 12:02:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24811124
M e-Sign



Scanned with OKEN Scanner

- iv. आवेदक द्वारा आयु के सम्बन्ध में सेकेण्डरी परीक्षा की अंक तालिका, सम्बन्धित भाग संख्या की मतदाता सूची की सत्यापित प्रतिलिपि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- v. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर में Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) अथवा अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिये। यदि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना-पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है तो आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ यह शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा कि वह चयनित होने के 06 माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्ति के पश्चात् ही प्राधिकार पत्र दिया जावेगा। आवेदक समितियाँ/समूह निकाय होने पर सम्बन्धित अध्यक्ष/सचिव/प्रबन्धक को कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा तथा इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- vi. आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने आवश्यक होंगे। यदि आवेदक पूर्व से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है तो उसकी पुष्टि में आवेदक को दुकान का नक्शा, स्वामित्व, किरायानामा आदि से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे। आवेदन करते समय यदि आवेदक अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण नहीं करते हैं तो उन्हें छः माह में मापदण्ड पूर्ण किये जाने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। मापदण्ड पूर्णता अवधि विशेष परिस्थितियों में ही राज्य सरकार/जिला कलक्टर द्वारा अधिकतम छः माह तक बढ़ायी जा सकेगी। यदि घोषणा पत्र के अनुसार प्राधिकृत होने पर मापदण्ड पूर्ण नहीं किये जाते हैं, तो प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- vii. आवेदक को आवेदन पत्र में अंकित घोषणाओं के सम्बन्ध में 50/- रुपये के स्टाम्प पर नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।
- viii. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरुष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद जन्म लेने वाली सन्तान सहित दो से अधिक सन्तान नहीं होनी चाहियें। दिनांक 01.01.2015 के पश्चात दो से अधिक सन्तान होने की स्थिति में व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात् यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी सन्तान का जन्म होता है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही सन्तान है तथा पश्चातवर्ती एकल प्रसव से एक से अधिक सन्तान जन्म लेती है तो सन्तान की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से जन्म लेने वाली सन्तानों को एक ही इकाई समझा जावे।
- ix. आवेदक द्वारा प्रस्तावित दुकान का नक्शा साइट प्लान तथा रूट प्लान के साथ सही माप में दर्शा कर तीन प्रति में स्वप्रमाणित करके प्रस्तुत किया जावेगा। नक्शे में प्रस्तावित दुकान के आगे-पीछे व दायें-बायें स्थित भवनों/स्थानों/भूमि/सड़क का स्पष्ट विवरण दिशा ज्ञान के साथ अंकित किया जावेगा। प्रस्तावित दुकान किराये की होने पर अनुबन्ध की प्रति/स्वयं की होने पर पट्टे की प्रति स्वप्रमाणित कर संलग्न की जावे। उचित मूल्य दुकान केन्द्रीय स्थल पर स्थित होनी चाहिये ताकि उपभोक्ता उचित मूल्य दुकान पर आसानी से पहुँच सके। प्रस्तावित उचित मूल्य दुकान सुरक्षा एवं यातायात के साधन के दृष्टिकोण से उचित स्थान पर होनी चाहिये। आवेदक को दुकान आवंटन के बाद जिस वितरण स्थल पर वितरण हेतु अधिकृत किया जावेगा, वह स्थान कम से कम 30 फीट रोड़ पर स्थित होना चाहिये तथा उस स्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल 10x20 अर्थात् 200 वर्गफीट होना आवश्यक है। आवेदक द्वारा वितरण स्थल के तीन ब्लूप्रिंट नक्शे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने आवश्यक है। आवेदक द्वारा अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने आवश्यक है। यदि आवेदक पूर्व से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है, तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा, स्वामित्व, किरायानामा आदि से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे।
- x. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा जारी किया गया न्यूनतम 1,00,000/-रुपये का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। हैसियत प्रमाण पत्र मूल ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। हैसियत प्रमाणपत्र छः माह से अधिक पुराना होने पर मान्य नहीं होगा।
- xi. महिला स्वयं सहायता समूह के लिये कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिरांषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25,000/-रुपये होना आवश्यक होगा।

Signature valid

Digitally signed by Sandesh Nayak
Designation: Collector and District
Magistrate
Date: 2026.09.30 12:02:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24811124
M e-Sign



Scanned with OKEN Scanner

- xii. समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है, को, हैसियत प्रमाण पत्र के स्थान पर समूह की वित्तीय हैसियत के सम्बन्ध में उनकी अंशपूँजी का विवरण, कार्यशील पूँजी का विवरण, वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष एवं चालू वर्ष के बैंक खाते के स्टेटमेंट की प्रति मय सहायक पंजीयक/उप पंजीयक की यह अभिशंका संलग्न करनी होगी कि समिति के वित्तीय हैसियत 1,00,000/- रुपये है और समिति की विगत तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गम्भीर अनियमितता नहीं है।
- xiii. आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुये एक घोषणा पत्र दिया जावेगा:-
 (क) आवेदकको पूर्व में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डित नहीं किया गया है।
 (ख) आवेदकके स्वयं के द्वारा ही उचित मूल्य दुकान का संचालन किया जावेगा।
 (ग) आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा, माता-पिता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई उचित मूल्य दुकान आवंटित नहीं है।
 (घ) आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
 (ङ) आवेदक बालिग एवं स्वस्थचित है, चाल-चलन अच्छा है तथा आवेदक को कभी दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।
 (च) आवेदक के दिनांक 01.01.2015 के बाद जन्म लेने वाली सन्तान सहित दो से अधिक सन्तान नहीं है।
- xiv. आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा दी गयी सूचनाएँ गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
- xv. नवसृजित उचित मूल्य दुकानों में कमी/बढ़ोतरी/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने एवं नहीं भरने का निर्णय अन्तिम होगा।
- xvi. नवसृजित उचित मूल्य दुकानों हेतु आवेदन निर्धारित अवधि में पूर्ण दस्तावेजों सहित आवेदक को कार्यालय में जमा करवाने होंगे। पूर्व में जारी विज्ञप्ति के तहत जमा आवेदन पत्र मान्य नहीं है।
- xvii. दिव्यांगजन को आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण पत्र/समाज कल्याण विभाग का प्रमाण पत्र, शहीद की वीरांगना को सेना द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा एवं परित्यक्ता को सम्बन्धित विभाग का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक को सेना से सेवामुक्त होने का प्रमाण पत्र तथा शिक्षित बेरोजगार को जिला रोजगार अधिकारी का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी आवश्यक होगी।
- xviii. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ दो राजपत्रित आधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- xix. आवेदक/संस्था के पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सम्बन्ध में) को उसके घर में कार्यशील शौचालय (Functional toilet) होने के सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिये अनिवार्य अर्हता होगी।

3. चयन प्रक्रिया एवं प्राथमिकता :-

आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जाकर अपनी अभिशंका जिला कलक्टर को प्रस्तुत की जावेगी। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा साक्षात्कार के समय आवेदक के चयन में प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा :-

(क) प्रथम वरीयता (संस्थागत) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम के आधार पर चयन किया जावेगा :-

- ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (वृहत्तर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।
 - महिला स्वयं सहायता समूह जो कि राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिये।
 - ग्राम पंचायत/निगमित निकाय
- नोट:-आवेदक/समितियाँ/समूह/निकाय होने पर सम्बन्धित सचिव/प्रबन्धक को कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा तथा इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

Signature valid

Digitally signed by Sandesh Nayak
 Designation: Collector and District
 Magistrate
 Date: 2026.09.30 12:02:03 IST
 Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
 24811124
 M e-Sign



Scanned with OKEN Scanner

विशेष:-1. यदि विज्ञापन जारी किये जाने के पश्चात् क्रम संख्या 1,2 व 3 के अन्तर्गत एक ही आवेदन प्राप्त होता है तो उसको प्राधिकार पत्र जारी किया जावेगा। इस श्रेणी के दो अथवा दो से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जावेगी।

2. महिला स्वयं सहायता समूह के अनुभव के आंकलन के सम्बन्ध में निम्न आधार होंगे :-

- (क) समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो।
- (ख) समूह का कम से कम तीन वर्ष पूर्व बैंक में खाता खुला हो।
- (ग) समूह के सदस्य तीन वर्ष से आन्तरिक लेन-देन में संलग्न हो।

(ख) द्वितीय वरीयता(व्यक्तिगत) के अन्तर्गत प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही निम्नलिखितप्राथमिकता क्रम के आधार पर चयन किया जावेगा :-

i. सामान्य श्रेणी

- (क) दिव्यांग(बेरोजगार)
- (ख) भूतपूर्व सैनिक(बेरोजगार)
- (ग) अन्य पात्र (बेरोजगार)

ii. महिला आरक्षित

- (क) दिव्यांग महिला (बेरोजगार)
- (ख) शहीद की विधवा वीरांगना (बेरोजगार)
- (ग) विधवा(बेरोजगार)
- (घ)परित्यक्ता(बेरोजगार)
- (ङ) भूतपूर्व सैनिक महिला(बेरोजगार)
- (च) अन्य पात्र महिला (बेरोजगार)

(संदेश नायक)
जिला कलक्टर रसद
जयपुर

क्रमांक:-रसद/एफपीएस/विज्ञप्ति-2023/2026/2042-52

दिनांक:- 30.09.2026

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक मंत्री महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, सांसद महोदय जयपुर शहर/जयपुर ग्रामीण।
3. निजी सचिव, समस्त विधायकगण जिला जयपुर।
4. निजी सचिव, श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, नगर निगम जयपुर हैरिटेज/ग्रेटर।
6. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
7. उपायुक्त एवं उपशासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
8. उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला जयपुर।
9. उप निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को विभाग की वेबसाइट food.raj.nic.in अपलोड करावें।
10. सहायक निदेशक, जिला जनसम्पर्क कार्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन करावें।
11. संस्थापन प्रभारी विज्ञप्ति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
12. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर रसद
जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Sandesh Nayak
Designation: Collector and District
Magistrate
Date: 2026.09.30 12:02:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24811124
M e-Sign



Scanned with OKEN Scanner